न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 18/2023 तारीख दायर :–13.07..2023 दिनांक निर्णय :–26.07.2023

पटवारी हल्का नाथलवाड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

1. सीताराम पुत्र किशोरीलाल
2. विश्राम पुत्र प्रभातीलाल
3. श्रवण पुत्र लक्ष्मण
4. तेजराम पुत्र सेडूराम
5. कज्जाराम पुत्र बालाराम जातियान माली निवसीयान ग्राम नाथलवाड़ा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

6. आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नाथलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 453 रकबा 0.12 है0 के भाग 0.01 है0 गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि पर पक्की नींव भरकर अप्रार्थीगण सीताराम पुत्र किशोरीलाल, विश्राम पुत्र प्रभातीलाल, श्रवण पुत्र लक्ष्मण, तेजराम पुत्र सेडूराम, कज्जाराम पुत्र बालाराम जातियान माली निवसीयान ग्राम नाथलवाड़ा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी सीताराम पुत्र किशोरी उपस्थित रहकर नोटिस जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस जवाब में अतिक्रमण नहीं करने का अंकन किया है किन्तु पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 के अनुसार सीताराम पुत्र किशोरीलाल द्वारा अतिक्रमण किया गया है। एंव शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमीयान की मंशा आराजी वाके ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 453 रकबा 0.12 है0 के भाग 0.01 है0 गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री सीताराम पुत्र किशोरीलाल, विश्राम पुत्र प्रभातीलाल, श्रवण पुत्र लक्ष्मण, तेजराम पुत्र सेडूराम, कज्जाराम पुत्र बालाराम जातियान माली निवसीयान ग्राम नाथलवाड़ा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 453 रकबा 0.12 है0 के भाग 0.01 है0 गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का नाथलवाड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 26.07.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 35 पर सि-च-पे-
राशि कायम किये गये। 50/-
(हस्ताक्षर)
त. रा. लेखाकार

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)